श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

Issue notices

22/7/24 वादी का वकील उक्त पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अधोलिखित के परिवादी द्वारा नोटिस जारी करवाकर मामला पत्रावली दिनांक 12/7/24 को पेश हो।

12/7/24

प्रार्थी के वकील उपस्थित हुए। 22/7/24 को पेश हो।

22/7/24

नोटिस तामील के उपरांत मियाद P.O. व्यतीत रीजर्व रखा जाये। मुकदमा पत्रावली दिनांक 23/8 को आवश्यक समक्ष पेश हो।

23/8/24

पत्रावली पेश। वकील पत्रकार उपस्थित। पेशकार सरकार स्वरूप डाक 5 व्यो। पत्रावली आज के पत्रावली कि एक पत्रावली मुकदमा सुनी नहीं है। वादी वकील कि एक पत्रावली आज की पत्रावली वापस सुपुर्द जाये। अग्रिम तारीख दिनांक 29/8/2024 को पेश हो।

29/8/2024

पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि विवादित आराजी ग्रा0 ज0 1048/675 रकबा 0.1400 है0 वाके मौजा जाडवास तह0 कोटकासिम कि राजस्व रीकार्ड गत दिनांक 6/6/24 को पेमाईश कार्यवाही जो मुताबिक पेमाईश विवादित आराजी कि पत्रावली की जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख	
	वादी के वादिया पत्र के दर्ज रजिस्टर करके अदालत कि जरिये P.O. से नोटिस करवाकर उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी वादी की है। प्रतिवादी आराजी को वादी विवादित आराजी की पेमाईश दिनांक 6/6/24 को की वादी स्वीकार करे। वादी वकील कि बहस सुनी गई। वादी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि वादी विवादित आराजी का स्वयं खातेदार काश्तकार है कि पेमाईश दिनांक 6/6/24 के अनुसार पत्रावली कि जावे। वादी वकील कि बहस पर गौर व पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि विवादित आराजी का वादी स्वयं काबिज खातेदार काश्तकार है व राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित आराजी कि पेमाईश कि जा चुकी है। ऐसी स्थिति में वादी का वादिया पत्र स्वीकार योग्य पाया है। अतः वादी का वादिया पत्र स्वीकार कर तहसीलदार कोटकासिम को डिक्रीट किया जाता है कि विवादित आराजी ग्रा0 ज0 1048/675 रकबा 0.1400 वाके मौजा जाडवास तह0 कोटकासिम जिला अलवर राजस्व रीकार्ड के लगती आराजी के सभी काश्तकारों को विवादित रूप से पूर्व सूचित कर उनकी मौजूदगी में पुनः पेमाईश कर पत्रावली कि जावे। तहसीलदार कोटकासिम को आदेश जारी है पत्रावली को मय सुपुर्द के तारीख से मय पत्रावली जिला अलवर मय शामिल

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (खैरथल-तिजारा) राज0